“ लाख लगाबो, लाखों कमाबो ”

लाख- एक परिचय :- लाख की उपलब्धता एवं विशिष्ट गुणों का ज्ञान प्राचीनतम है, इसका उल्लेख वेदों, पुराणों एवं साहित्यों में उपलब्ध है । लाख *Kerria Lacca* नामक, नन्हें-नन्हें कीटों द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु अपने शरीर में उपस्थित सूक्ष्म ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित किया गया रेजिन (राल) है लाख के कीट कुछ विशेष पोषक वृक्षों एवं पौधों पर पाले जाते है जो पोषक वृक्ष के रस को चूसकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं । लाख से प्राप्त राल के प्राकृतिक एवं हानि रहित गुणों के कारण इसका महत्व कृत्रिम रासायनिक रालों से अधिक है । लाख के प्रसंस्करण के दौरान रॉल के अतिरिक्त मोम और सुनहरा लाल रंजक, सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिनका भी व्यवसायिक महत्व है । लाख का उपयोग औषधियों, विद्युत कुचालक, वार्निश, फलों एवं दवाओं पर कोटिंग, पॉलिश, सजावट की वस्तुएं, रंगाई, सील, श्रृंगार के प्रसाधन इत्यादि के निर्माण में किया जाता है । लाख खेती करने के इच्छुक ऐसे कृषक जिनके पास कुसुम, पलाश, बेर एवं खैर के वृक्ष उपलब्ध हैं, सरलता एवं कम खर्च के साथ उपलब्ध वृक्षों में लाख उत्पादन कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं ।

राज्य में लाख उत्पादन :- विगत 5 वर्षो के छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ के प्रयासो के फलस्वरूप वर्ष 2008-09 में छत्तीसगढ़ पूरे देश के कुल उत्पादन का लगभग 42 प्रतिशत, 7198 मिट्रिक टन लाख का उत्पादन तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा है ।

प्रजाति :- लाख की दो प्रजातियॉ होती हैं, कुसुमी और रंगीनी । कुसुमी प्रजाति की

कुसुम

सेमीयालता

बेर

पलाश

लाख रंगीनी की अपेक्षा अधिक अच्छी गुणवत्ता वाली एवं अधिक उत्पादन दर की लाख होती है । कुसुमी लाख की खेती वर्ष में दो सीजन जनवरी-फरवरी तथा जून-जुलाई में की जा सकती है । जनवरी-फरवरी के सीजन को ग्रीष्मकालीन सीजन एवं जून-जुलाई के सीजन को शीतकालिन सीजन कहा जाता है । रंगीनी प्रजाति की लाख की खेती वर्ष में दो सीजन मई-जून तथा अक्टूबर-नवम्बर में की जा सकती है । अक्टूबर-नवम्बर के सीजन को ग्रीष्मकालीन सीजन एवं जून-जुलाई के सीजन को शीतकालिन सीजन कहा जाता है । जिसके लिए निम्नानुसार कार्य संचालित करने की आवश्यकता है ।

वृक्षों का चयन :- कुसमी लाख की खेती हेतु कुसुम, बेर, खैर, आकाशमनी, सेमियालता, भालिया एवं गलवांग पोषक वृक्ष उपयोगी है । व्यापारिक लाख पालन के दृष्टिकोण से कुसमी लाख उत्पादन हेतु कुसुम एक उत्कृष्ठ पोषक वृक्ष है जिस पर अपेक्षाकृत अधिक कीमत वाली कुसुमी लाख की लाभप्रद खेती संभव है । रंगीनी लाख की खेती हेतु पलाश, बेर, खैर, आकाशमनी, सेमियालता, भालिया एवं गलवांग पोषक वृक्ष उपयोगी है । व्यापारिक लाख पालन के दृष्टिकोण से रंगीनी लाख उत्पादन हेतु पलाश एवं बेर एक उत्कृष्ठ पोषक वृक्ष है । वृक्षों की अनुपलब्धता हो तो निजी भूमि पर खैर, सेमियालता तथा गलवांग इत्यादि का रोपण कर लाख खेती की जा सकती है ।

वृक्षों की कांट-छांट :- लाख कीट कोमल टहनियों पर बैठकर रस चूसते हुये अपने जीवन चक्र को पूर्ण करता है तथा उसकी सुरक्षा कवच हमें लाख के रूप में प्राप्त होती है । अतः कोमल टहनियों की उपलब्धता के लिये उचित समय एवं विधि से पेड़ों की कॉट-छांट करना अतिआवश्यक कार्य है । सामान्य परिस्थितियों में कुसुम वृक्ष से पर्याप्त एवं नर्म टहनी प्राप्त करने के लिए बीहन संचारन के 12 से 15 माह के पूर्व तथा पलाश हेतु लगभग 6 माह पूर्व कांट-छांट करना चाहिए । कुसुम वृक्षों की माह जनवरी-फरवरी एवं जून-जुलाई में तथा पलाश वृक्षों की माह अप्रेल-मई एवं अक्टूबर-नवम्बर में कॉट-छॅाट करें । पहली बार कांट-छांट करते समय मोटी डालियॉ भी काटना पड़ सकता है । ध्यान रहे कि गलत समय में कॉट-छॅाट करने से नई डालियॉ बहुत छोटी निकलती हैं एवं कभी-कभी टेसाराटोमा नामक लाल रंग का कीट पोषक वृक्ष विशेषकर कुसुम की सारी पत्तीयॉ खा जाता है । कॉट-छॅाट की प्रक्रिया दावली एवं तेजधार वाली कुल्हाणी से इस प्रकार करना चाहिए कि काटते समय डालियां फट न पायें । कॉट-छांट करते समय सूखे, रोग ग्रस्त, फटी एवं टूटी डालियों को अवश्य अनिवार्य रूप से काट लेना चाहिए ।

बीहन संचारण :- बीहन लाख (गर्भ युक्त मादा लाख कीट सहित टहनियों) के बण्डल बनाकर वृक्षों की टहनियों में आवश्यक मात्रा में बांध दिये जाते हैं । पोषक वृक्षों की लाख लगी टहनियों से मादा लाख कीटों के सेल से निकल रहे शिशु कीटों का पोषक वृक्षों की टहनियों पर फैलाने (संचार) की प्रक्रिया ही कीट संचारण कहलाती है । वृक्षों पर बीहन बांधन के लिए उपलब्ध बीहन की टहनियों को लगभग 6 इंच के टुकड़े काट लेते हैं । बीहन की कटाई के लिए रोल कट सिकेटियर (ब्लेट एक तरफ) का उपयोग करते हैं । लगभग 100-100 ग्राम बीहन के बंडल को 60 मैश की नायलौन जाली के थैल (साईज औसतन 27x10 से.मी.) में बॉधकर वृक्ष की शाखा में बॉध दिया जाता है । सामान्यतः बीहन लाख की बंधाई 20 ग्राम प्रति मीटर नर्म शाखाओं की दर से की जाती है । 100 ग्राम के बंडल ऐसे स्थान पर बांधना चाहिए जिसके आगे की तरफ लगभग 6 से 7 मीटर नर्म टहनियॉ उपलब्ध हों । इस प्रकार सामान्यतः एक कुसुम वृक्ष पर 6 से 7 किलोग्राम तथा एक पलाश वृक्ष पर 1 किलोग्राम बीहन की आवश्यकता होती है । कुसुम वृक्षों पर माह जनवरी-फरवरी अथवा जून-जुलाई में तथा पलाश वृक्षों पर माह अप्रेल-मई अथवा अक्टूबर-नवम्बर में कीट संचारण करें । कुसुम वृक्षों पर सीजन हेतु बीहन चढ़ाने के लिए जनवरी-फरवरी माह सबसे उपयुक्त समय है ।

बीहन गुणवत्ता जॉच :- बीहन बांधने के पूर्व बीहन की गुणवत्ता जांचना अतिआवश्यक कार्य है । सामान्यतः अच्छे गुणवत्ता लिए हुए कुसुमी बीहन का वजन लगभग 200 ग्राम प्रति 1 मीटर तथा 75 ग्राम प्रति 1 मीटर होता है । बीहन खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1. बीहन में शत्रु कीट न लगे हो ।
2. डण्डी में दाने भरे-भरे हो
3. बीहन में पानी न डाला गया हो ।
4. बीहन में लाख कीट जीवित अवस्था में हो । यह जानने के लिए
   - लाख डण्डी में से एक दाना उखाड़े व उसे ऊगलियों से मसलें यदि दानेदार आभास होता है इसका मतलब होगा की लाख कीड़े जीवित है ।
   - लाख डण्डी का सेम्पल लेकर परीक्षण करा लेवें ।

सामान्यतः कुसुमी बीहन लाख का मूल्य रू. 100-150 प्रति कि.ग्रा. तथा रंगीनी बीहन का मूल्य 50 से 80 प्रति कि.ग्रा के मध्य होता है । लाख पालन में बीहन लाख की परिपक्वता तथा इससे शिशु कीट बाहर आने के समय का ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीज/बीहन के रूप में कीटों का संचारण पोषक वृक्षों पर सही समय पर किया जाना आवश्यक है ।

फूंकी हटाना :- बीहन लाख से लाख के शिशु किट के निर्गमन के पश्चात् शेष बची डंडी ही फूंकी लाख कहलाती है कीट निर्गमन समाप्त होते ही फूंकी लाख वृक्षों से उतारकर विक्रय कर देना चाहिए । बीहन लाख से शिशु कीट बांधने के लगभग 2 सप्ताह तक एवं जनवरी फरवरी में 3 सप्ताह तक निकलते हैं । सामान्यतः संचारित कुसुमी बीहन से 40 प्रतिशत तथा रंगीनी बीहन से 20 प्रतिशत फूंकी लाख के रूप में प्राप्त होती है ।

फसल संरक्षण :- लाख की पैदावार में कमी के प्रमुख कारणों में एक लाख फसल पर शत्रु कीटों तथा बीमारियों का आक्रमण हैं ।इनसे बचाव हेतु कीट नाशक का प्रथम छिड़काव बीहन संचारण से लगभग 30 दिन एवं द्वितीय छिड़काव लगभग 60 दिन पश्चात् किया जाता है । परभक्षी कीटों के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित दवाईयों का उपयोग किया जा सकता है -

(1) एन्डोसल्फान (थॉयोडॉन) 35 ई.सी- (Endosulfan/Thiodan 35 E.C.)
(2) डाइक्लोरोवॉस (नुवान) 76 ई.सी. (Dichlorvos/Nuvan 76 E.C.),
(3) इथोफेनप्राक्स (नुकिल) 10 ई.सी. (Ethophenprox 10 E.C.)
(4) फफुंदनाशी हेतु कारबेन्डाजिम 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. (Carbendazim 50% W.P.) (बेनगार्ड, बैविस्टीन इत्यादि)

दवाई की छिड़काव कब करें :-

- काली तितली/सफेद तितिली के आक्रमण होने पर एन्डोसल्फान का प्रथम छिड़काव बीहन लाख संचारण की तिथि से लगभग एक महीने पर करे । दवाईयों का छिड़काव गटूर रॉकिंग स्प्रेयर की सहायता से सुरक्षित रूप से करें ।

- क्राइसोपा का आक्रमण होने पर इथोफेनप्राक्स का छिड़काव बीहन लाख संचारण की विधि से लगभग 25-30 दिन पर शीतकालीन फसल में कर सकते हैं । छत्तीसगढ़ राज्य के कुसुमी लाख उत्पादन क्षेत्रों में शीतकालीन फसल में क्राइसोपा का प्रकोप होता है । इसलिये कीटों का प्रकोप दिखाई पड़े या न पड़े, इथोफेनप्राक्स का छिड़काव जरूर करें ।

- डाइक्लोरवास का छिड़काव क्राइसोपा (हरा पतंगा) के आक्रमण होने पर बीहन लाख संचारण की तिथि से डेढ़ महीने के बाद ही करें, (अगहनी फसल छोड़कर) आवश्यकता पड़ने पर दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के एक महीने बाद करें ।

- फफूंद (बीमारी) का आक्रमण होने पर कारबेण्डाजिम (बेनागार्ड/बेविस्टीन इत्यादि) नामक फफूंदनाशक दवा के घोल का छिड़काव लाख कीट संचारण के एक महीने बाद करे,बाद के छिड़काव तीन-तीन सप्ताह के अन्तराल पर दो बार करे ।

- शत्रु कीटों व फफूंद का प्रकोप एक साथ होने पर कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवा के मिश्रित घोल का उपयोग करें । कतकी फसल में यह छिड़काव 1 माह पश्चात् करें ।

- काले रंग के छोटी-छोटी चीटियां द्वारा लाख कीटों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में वृक्षों के तनों पर 4’’-5’’ इंच चौड़ी पट्टी में कोलतार 2-3 माह तक असरकारक रहते है । आवश्कता पड़ने 2-3 माह बाद पुनः कोलतार पोताई कर दें ।

- कोहरा होने पर कारबेन्डाजिम का छिड़काव करें । लाख फसल आग एवं धुओं से प्रभावित होता है । इसलिये लाख लगे पेड़ों के नीचे या आसपास आग न लगायें और न ही धुऑ करें ।

- संभावित बारिश के समय दवा का छिड़काव न करें । यदि दवा का छिड़काव किया गया हो एवं एक दो घंटे के भीतर बारिश हो जाये तो पुनः दवा का छिड़काव किया जाना चाहिए ।

- वर्षाकालीन सीजन में वृक्षों में बीहन बाहर की डालियों में बांधना चाहिए ।

- ऐसे पेड़ पर कीट संचारण करना चाहिए जो खुली जगह में हो, दूर-दूर हों कम घने हों । ताकि आवश्यक हवा एवं धूप कीटों को प्राप्त हो पाये ।

- अगहनी फसल तुलनात्मक रूप से अधिक मोटी हो जाती है । जिसके कारण चोरी की सम्भावना बढ़ जाती है चोरी से बचाने के लिए उचित प्रबंध नवम्बर से जनवरी-फरवरी तक अथवा बीहन लाख की कटाई तक कर लेना उचित होता है ।

फसल कटाई :- बीहन संचारण के लगभग 6 माह पश्चात् परिपक्व लाख की फसल का उपयोग कीट संचारण हेतु किया जा सकता है । उत्पादित लाख के बीहन के रूप में स्वयं के उपयोग किये जाने एवं विक्रय किये जाने के पश्चात् शेष लाख लगी टहनियों की छिलाई चाकू, छूरी से कर, खुले एवं हवादार स्थान में 6”-9” इंच मोटी परत में फेलाकर रखें । लाख पपड़ियों को टहनियों से अलग या छिलाई इस प्रकार करें कि लाख चूरा कम से कम हो, क्योंकि बड़े टुकड़े का दाम अधिक मिलता है । इस प्रकार यदि एक कृषक कुसुम के एक वृक्ष पर उन्नत वैज्ञानिक विधि से लाख की खेती करता है, तो उसे फूंकी लाख, ब्रुड लाख एवं छिली लाख का विक्रय करने से लगभग रू. 7000 वार्षिक आय प्राप्त हो सकती है । इसी प्रकार एक पलाश वृक्ष पर लाख पालन करने से लगभग 400 रू. वार्षिक आय प्राप्त हो सकती है ।

लाख पालन की खण्ड प्रणाली :- समस्त उपलब्ध वृक्षों पर एक साथ लाख उत्पादन प्रारंभ करने से वृक्षों को विश्राम नहीं मिलता तथा शत्रु किटों की संख्या काफी बढ़ जाती है साथ ही प्राप्त बीहन की गुणवत्ता एवं उत्पादन क्षमता में कमी आती है । अतः एक बार पूरे वृक्षों का उपयोग न करते हुए समस्त वृक्षों को तीन खण्डों में विभाजित कर एक-एक खण्ड में लाख खेती करने से सतत् आय प्राप्त होती रहती है ।

विपणन :- लाख को छिलाई पश्चात् हाट बाजार, लाख प्रसंस्करण केन्द्र अथवा लाख व्यापारियों को विक्रय किया जाता है । सामान्यतः कुसमी लाख रूपये 80-100 प्रति किग्रा. तथा रंगीनी लाख रूपये 50-80 प्रति किग्रा की दर से विक्रय की जा सकती है । छत्तीसगढ़ धमतरी, कांकेर, कटघोरा एवं जांजगीर चांपा में लाख प्रंसस्करण केद्र स्थापित जहां इतना विक्रय किया जा सकता है । जिसकी सूची समस्त लाख फेसिलिटेशन केंद्रों में उपलब्ध है जो वन वृत्त स्तर पर NWFP मार्ट के पास स्थापित हैं । सूची निम्नानुसार है

लाख फेसिलिटेशन केंद्र	रायपुर	पुलिस हेड क्वार्टर के सामने, राजातालाब	0771-6539894	mart_raipur@cgmfpfed.org
	दुर्ग	डी.एफ.ओ. ऑफिस, पॉलीटेक्नीक कॉलेज के पास	0788-6522541	mart_durg@cgmfpfed.org
	बिलासपुर	वनमंडल कार्यालय, सिंधी कॉलोनी, भक्त कंवरदास गेट	07752-226082	mart_bilaspur@cgmfpfed.org
	कांकेर	उपभोक्ता डिपो के पास, लट्टी पारा, फॉरेस्ट कालोनी	07868-241002	mart_kanker@cgmfpfed.org
	जगदलपुर	कोतवाली के पास, सिविल लाइन्स	07782-225135	mart_jagdalpur@cgmfpfed.org
	सरगुजा	संजय पार्क, रामानुजगंज रोड, अंबिकापुर	07774-240400	mart_surguja@cgmfpfed.org

योजनाऍं :- छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ के द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, लाख विकास योजना, यूरोपियन कमीशन योजना, ट्राईफेड पोषित लाख संबंधी योजना, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सरगुजा एवं उत्तर विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं यू.एन.डी.पी. परियोजना अंतर्गत लाख संबंधी योजना जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को लाख पालन में सम्मिलित कर जीविकोपार्जन हेतु अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है । इन योजनाओं के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों अनुसार ग्रामीणों को प्रशिक्षण, बीहन आबंटन, लाख पालन करने हेतु आवश्यक औजार जैसे दावली, सेकेटियर, इस्प्रेयर एवं दवाईयां उपलब्ध कराई जाती हैं ।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :-

श्रीमति सोनल शर्मा, सीनीयर एक्सी. लाख,	0771-4065100	fed_raipur@ cgmfpfed.org